



चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एन्टीरोमियों टीम द्वारा ‘मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।
2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।
3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

- 1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
- 1090 – वीमेन पावर लाइन
- 181 – वीमेन हेल्पलाइन
- 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
- 102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस
- 108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा
- 1098 – चाइल्ड लाइन
- 101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गईं।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदों/मनचलों के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगों से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदों/मनचलों को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). डयूटी के दौरान किसी भी पुलिसकर्मी की दुर्घटना/बीमारी/या अन्य किसी कारण से आसमयिक मृत्यु होने पर मुख्यालय को भेजी जाने वाली सूचना का प्रारूप-

01. पुलिसकर्मी का नाम- शिवशरण यादव
02. पद – मुख्य आरक्षी
03. पी0एन0ओ0 – 952370884
04. जन्म तिथि- 14.12.1975
05. भर्ती तिथि- 20.05.1995
06. भर्ती किस पद पर हुए और किस पद पर मृत्यु हुई- आरक्षी पद पर भर्ती हुए, मृत्यु- मुख्य आरक्षी पद पर।
07. मृत्यु का दिनांक- 29.12.2025
08. मृत्यु का कारण संक्षिप्त विवरण- (वर्तमान तैनाती (थाना/चौकी/इकाई) एवं किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई-
दिनांक 29.12.2025 को सी0एच0सी0 मौदहा से एक किता फौती मेमो प्राप्त हुआ कि दिनांक 29/12/25 को समय 8.20 PM पर श्री शिवशरण पुत्र स्व0 रामसेवक उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम छिमौली थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को सामु0स्वा0 केन्द्र मौदहा लेकर आये, जिन्हे चिकित्सीय परीक्षण में मृत पाया गया। पूछने पर बताया कि जनपद चित्रकूट में पुलिस विभाग में कार्यरत थे, कैंसर का ईलाज चल रहा था। प्राप्त सूचना पर मौदहा पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जानकारी की गयी तो शिवशरण यादव पुत्र स्व0 रामसेवक यादव उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम छिमौली थाना मौदहा हमीरपुर जो कि जनपद चित्रकूट के श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नियुक्त थे। मुख्य आरक्षी शिवशरण यादव कैंसर से पीड़ित होने कारण माह जुलाई 2023 से मेडिकल अवकाश पर चल रहे थे जिनका इलाज दिल्ली में चल रहा था। वर्तमान में अपने घर पर ही मौजूद थे। दिनांक 29.12.2025 को अचानक तबियत खराब होने जाने के कारण उनके परिवारीजनों द्वारा इलाज हेतु सी0एच0सी0 मौदहा लाया गया जहा पर चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। मृतक मुख्य आरक्षी शिवशरण यादव के शव को स- सम्मान कब्जे में लेकर पंचायतनामा/पोस्टमार्टम की आवश्यक कार्यवाही हेतु मर्चरी हाउस हमीरपुर भेजा गया।
09. गृह जनपद- हमीरपुर
10. मृतक पुलिसकर्मी की निर्धारित वर्दी में फोटो- संलग्न है

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गए।

(4). आज दिनांक 30.12.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन चित्रकूट में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिकूट आरक्षियों को अनुशासन, कर्तव्यपरायणता, संवेदनशीलता के महत्व के बारे में बताया गया। जिसमें सोशल मीडिया आचरण, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग न करने एवं विभागीय नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश शामिल हैं।

महोदय द्वारा रिकूट आरक्षियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रशिक्षण के दौरान तथा बाद में कर्तव्यनिष्ठा का पालन करें। सभी रिकूट आरक्षियों को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल उसके निवारण हेतु आश्वत किया गया। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पर कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी साथ ही आरक्षियों

को सोशल मीडिया नीति का सख्ती से पालन करने का निर्देश है। विभागीय गोपनीय जानकारी साझा न करने, आपत्तिजनक पोस्ट न करने एवं संस्था की गरिमा बनाए रखने पर जोर दिया गया। उल्लंघन पर तत्काल अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा, प्रतिसार निरीक्षक श्री रामाशीष यादव, प्रभारी निरीक्षक आरटीसी श्री शिवमूरत यादव व अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

(5). आज दिनांक 30.12.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में शान्ति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने का भरोसा दिया गया तथा पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों, होटल/ढाबा एवं दो/चार पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।